

संख्या: 26/1/एनसीएसटी/2011-प्रशासन
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली- 110003
दिनांक 17 जुलाई 2017

सेवा में


राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
के सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: वर्ष 2018 के दौरान भारत सरकार के कार्यालयों में रखी जाने वाली छुट्टियों
संबंध में

महोदय,


मुझे उपरोक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त कार्यालय
ज्ञापन संख्या 12/3/2017-जेसीए-2 दिनांक 14 जून 2017 की एक प्रतिलिपि
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

भवदीय,



(एस0 पी0 सीणा)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्य कार्यालय के सभी
अधिकारियों एवं अनुभागों को सूचनार्थ हेतु प्रेषित



(एस0 पी0 सीणा)
सहायक निदेशक

फा.सं.-12/3/2017 -जेसीए-2

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

स्थापना (जेसीए-2) अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 14 जून, 2017

कार्यालय जापन

विषय :- वर्ष 2018 के दौरान भारत सरकार के कार्यालयों में रखी जाने वाली छुट्टियों के संबंध में।

यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में वर्ष 2018 के दौरान इस कार्यालय जापन के अनुबंध-I में विनिर्दिष्ट छुट्टियाँ रहेंगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कर्मचारी को अनुबंध-II में दर्शाई जा रही वैकल्पिक छुट्टियों की सूची में से अपनी इच्छानुसार कोई दो छुट्टियाँ लेने की भी अनुमति होगी।

2. दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में नीचे पैरा 3.1 में दर्शाई जा रही छुट्टियों में से तीन छुट्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित छुट्टियाँ अनिवार्यतः रहेंगी :-

1. गणतंत्र-दिवस
2. स्वतंत्रता-दिवस
3. महात्मा गांधी जन्म दिवस
4. बुद्ध पुर्णिमा
5. क्रिसमस दिवस
6. दशहरा (विजय दशमी)
7. दीवाली (दीपावली)
8. गुड फ्राइडे
9. गुरु नानक जन्म दिवस
10. ईद उल फितर
11. ईद उल जुहा
12. महावीर जयंती
13. मुहूर्म
14. पैगम्बर मोहम्मद का जन्म दिवस (ईद-ए-मिलाद)

3.1 पैरा 2 में उल्लिखित उपर्युक्त 14 अनिवार्य छुट्टियों के अतिरिक्त, राज्य की राजधानियों में स्थित केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों द्वारा, यदि आवश्यक हो तो राज्य के अन्य स्थानों की समन्वय समितियों के परामर्श से, नीचे दी जा रही सूची में से, तीन छुट्टियाँ तय की जाएंगी। संबंधित राज्य में स्थित, केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के लिए

[Handwritten signature]
11/4/17

[Handwritten initials]

5.3 ऐसा हो सकता है कि उपर्युक्त अवसरों की तारीख में परिवर्तन, थोड़े समय पहले ही अधिसूचित करना पड़े। ऐसी स्थिति में छुट्टी की घोषणा, पत्र सूचना कार्यालय दूरदर्शन/आकाशवाणी/ समाचार पत्रों इत्यादि के माध्यम से की जाए तथा विभागाध्यक्ष/केन्द्रीय सरकार के कार्यालय, परिवर्तन की तारीख के बारे में किसी औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ही ऐसी घोषणा के अनुसार कार्रवाई करें।


6. वर्ष 2018 के दौरान दीवाली (दीपावली), बुधवार, 7 नवंबर, 2018 (कार्तिक 16) को पड़ रही है। कुछ राज्यों में यह अवसर (त्योहार) एक दिन पहले अर्थात् “नरक चतुर्दशी के दिन” मनाए जाने की प्रथा है। इसे ध्यान में रखते हुए, किसी राज्य में, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में दीपावली की छुट्टी, दीपावली के दिन के स्थान पर नरक चतुर्दशी (दीपावली दिवस के स्थान पर) के दिन रखे जाने के प्रति कोई आपत्ति नहीं है, यदि उस राज्य में, राज्य सरकार के कार्यालयों में भी दीपावली की अनिवार्य छुट्टी के रूप में केवल उसी दिन की छुट्टी घोषित की गई हो।

7. औद्योगिक, वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित, केन्द्रीय सरकारी संगठनों में, वर्ष में 16 छुट्टियाँ होंगी जिनमें तीन राष्ट्रीय छुट्टियाँ अर्थात् गणतंत्र-दिवस, स्वतंत्रता-दिवस और महात्मा-गांधी-जन्म-दिवस की छुट्टियाँ अनिवार्य होंगी। वर्ष 2018 की शेष छुट्टियों/अवसरों का निर्धारण, ऐसे प्रतिष्ठानों/संगठनों द्वारा ऊपर पैरा 3.2 के अधीन स्वयं ही किया जाए।

8. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, छुट्टियों का निर्धारण, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार करेंगे।

9. विदेश स्थित भारतीय मिशनों के संबंध में, अवकाश दिवसों की संख्या को, इस विभाग के दिनांक 17.12.2002 के कार्यालय जापन संख्या-12/5/2002-जे.सी.ए., में निहित अनुदेशों के अनुसार अधिसूचित किया जाए। दूसरे शब्दों में, उनके पास अपनी ही 16 (सोलह) छुट्टियों को चुनने का विकल्प तीन राष्ट्रीय छुट्टियों और ईद-उल-फितर को अनिवार्य तथा सप्ताहांत दिवस पर पड़ने वाली छुट्टियों की सूची में शामिल करने के बाद ही उपलब्ध होगा।

10. बैंकों के संबंध में, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार छुट्टियों का विनियमन होगा।



(डी. के. सेनगुप्ता)

उप सचिव (जेसीए)

दूरभाष : 23040255

अनुलग्नक :- छुट्टियों की सूची

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

अनुबंध-I

वर्ष 2018 के दौरान केन्द्र सरकार के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित प्रशासनिक कार्यालयों में रखी जाने वाली छुट्टियों की सूची

क्र.सं.	छुट्टी	तारीख	शक संवत् की तारीख	दिन
शक संवत् 1939				
1.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	माघ 06	शुक्रवार
2.	महाशिवरात्रि	14 फरवरी	माघ 25	बुधवार
3.	होली	02 मार्च	फाल्गुन 11	शुक्रवार
शक संवत् 1940				
4.	महावीर जयंती	29 मार्च	चैत्र 08	गुरुवार
5.	गुड फ्राइडे	30 मार्च	चैत्र 09	शुक्रवार
6.	बुद्ध पुर्णिमा	30 अप्रैल	बैसाख 10	सोमवार
7.	ईद-उल-फितर	16 जून	ज्येष्ठ 26	शनिवार
8.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	श्रावण 24	बुधवार
9.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	22 अगस्त	श्रावण 31	बुधवार
10.	जन्माष्टमी	03 सितम्बर	भाद्र 12	सोमवार
11.	मुहर्रम	21 सितम्बर	भाद्र 30	शुक्रवार
12.	महात्मा गांधी जन्म दिवस	02 अक्टूबर	आश्विन 10	मंगलवार
13.	दशहरा	19 अक्टूबर	आश्विन 27	शुक्रवार
14.	दीवाली (दीपावली)	07 नवम्बर	कार्तिक 16	बुधवार
15.	मिलाद-उन-नबी अथवा ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस)	21 नवम्बर	कार्तिक 30	बुधवार
16.	गुरु नानक जन्म दिवस	23 नवम्बर	अग्रहायण 02	शुक्रवार
17.	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर	पौष 04	मंगलवार

22.	दशहरा (महा सप्तमी) (अतिरिक्त)	16 अक्टूबर	आश्विन 24	मंगलवार
23.	दशहरा (महा अष्टमी) (अतिरिक्त)	17 अक्टूबर	आश्विन 25	बुधवार
24.	दशहरा (महा नवमी)	18 अक्टूबर	आश्विन 26	गुरुवार
25.	महर्षि बाल्मीकि जयंती	24 अक्टूबर	कार्तिक 02	बुधवार
26.	करक चतुर्थी (करवा चौथ)	27 अक्टूबर	कार्तिक 05	शनिवार
27.	दीपावली (दक्षिण भारत)	06 नवम्बर	कार्तिक 15	मंगलवार
28.	नरक चतुर्दशी	06 नवम्बर	कार्तिक 15	मंगलवार
29.	गोवर्धन पूजा	08 नवम्बर	कार्तिक 17	गुरुवार
30.	भाई दूज	09 नवम्बर	कार्तिक 18	शुक्रवार
31.	प्रतिहार षष्ठी अथवा सूर्य षष्ठी (छठ पूजा)	13 नवम्बर	कार्तिक 22	मंगलवार
32.	गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस	24 नवम्बर	अग्रहायण 03	शनिवार
33.	क्रिसमस की पूर्व संध्या	24 दिसम्बर	पौष 03	सोमवार

* * * * *